न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 208 / 2024 GCMS NO. 2024/427 उनवानी जड़ाव कंवर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
08.11.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादिया के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादिया सुनी गई। वादिया ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है ग्राम ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 13 के खसरा नम्बर 741 रकबा 4.46 हेक्टेयर में दर्ज वादिया का नाम जड़ाव देवी पत्नी जगमाल सिंह हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादिया का नाम जड़ाव कंवर पत्नी जगमाल सिंह घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादिया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम ढ़ाणी बाढ़ा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 13 में वादिया का नाम जड.ाव देवी पत्नी जगमाल सिंह दर्ज रिकार्ड है। वादिया के समस्त पहचान दस्तावेजात् में जड़ाव कंवर पत्नी जगमाल सिंह दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादिया के पहचान दस्तावेजों में जड़ाव कंवर पत्नी जगमाल सिंह दर्ज है। तहसीलदार खेतड़ी ने जड.ाव देवी के स्थान पर जड़ाव कंवर शुद्ध करने की अभिशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2024 / 4030 दिनांक 17.09.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर वादिया का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा **–: आदेश :–** अतः वादिया का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम ढाणी बाढा पटवार हल्का जसरापुर की हाल जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 13 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **जड.ाव देवी पत्नि जगमालसिंह** के स्थान पर **जड़ाव कंवर पत्नी जगमाल सिंह** शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Y
Date: 2024.12.09 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested